



कार्यालय जिला पंचायत बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)

फोन नंबर 07727-222076 फैक्स नंबर 07727-223676 Mail Id drdabbb@gmail.com

कं./४९६३/स्था/शिक्षा/जि.पं/नियु./2017 बलौदाबाजार-भाटापारा,दिनांक 02 DEC/2017
//आदेश//

आयुक्त सह संचालक पंचायत संचालनालय, छ.ग., नया रायपुर के पत्र क्रमांक/पंचा/शिक्षा/2017/287 नाया रायपुर, दिनांक 20.07.2017 को जिला बलौदाबाजार-भाटापारा हेतु प्राप्त रिक्त पदों पर दिनांक 27.08.2017 को आयोजित व्याख्याता पंचायत की सीधी भर्ती हेतु छ.ग. व्यवसायिक परीक्षा मण्डल नया रायपुर द्वारा प्रदेश के संभाग मुख्यालयों में आयोजित परीक्षा का छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय नया रायपुर के पत्र क्रमांक/पंचा/शिक्षा/पंग्राविवि/22/750 नया रायपुर, दिनांक 12.10.2017 के द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रांवीण्य सूची के आधार पर छ.ग. शिक्षा (पंचायत) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम 2012 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत जिला पंचायत बलौदाबाजार-भाटापारा की सामान्य प्रशासन समिति की बैठक दिनांक 22.11.2017 के अनुमोदन उपरांत अधोलिखित उम्मीदवारों को व्याख्याता पंचायत के पद पर वेतनमान 5300-150-8300 मे अस्थायी तौर पर दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर नियुक्त कर निहित शर्तों के अधीन उनके नाम के सम्मुख (कालम क्रमांक 05) में अंकित शाला में आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ किया जाता है।

-: SUBJECT CHEMISTRY :-

S.No	Name	Father/Husband Name	Selection Category	Posting School/Block
1	RAKESH SHARMA	MADAN LAL SHARMA	UR	H.S.S. KHAIRA/ BHATAPARA
2	MOHAMMAD MOBEEN	SHEKH HADDISH	UR	H.S.S.SIRIYADIH/ BALODABAZAR
3	BALLA SAI SWATI	BALLA SITA RAMA RAO	UR	H.S.S. NAWAGAON/ SIMGA
4	AVINASH KUMAR	SHER SINGH	UR	H.S.S. DATAN / PALARI
5	KRISHN KUMAR AGRAWAL	PREM CHAND AGRAWAL	UR	H.S.S. MARDA/ BALODABAZAR
6	NIDHI SHUKLA	JUGESHWAR PRASAD SHUKLA	UR	H.S.S. KOYDA/ BALODABAZAR
7	AMIT KUMAR PATEL	GANGA PRASAD PATEL	UR	H.S.S. RAYKONA/ BILAIGARH
8	BHIMSEN KUMBHAKAR	ROOP RAM KUMBHAKAR	UR	H.S.S. KHURSHULA / BILAIGARH
9	KAMALESH KUMAR SAHU	DWARIKA PRASAD SAHU	UR	H.S.S. GIDHPURI / PALARI

10	YOGESH KUMAR PRADHAN	MANGATA	UR	H.S.S. ARJUNI (B) / KASDOL
11	VIKAS KUMAR VERMA	BHAGWAT SINGH VERMA	UR	H.S.S. NEWARI / SIMGA
12	KARAN DAS MAHANT	NIRMAL DAS MAHANT	UR	H.S.S. NAGARDA / BILAIGARH
13	SHYAM SUNDAR	SOMNATH	UR भूपू.सै.के स्थान पर	H.S.S. PAIJANI / BALODABAZAR
14	HEMLATA PATEL	SHESH KUMAR PATEL	UR	H.S.S. DHANSHIR/ BILAIGARH
15	RAMAKANT PATEL	RAM PRASAD PATEL	UR भूपू.सै.के स्थान पर	H.S.S. PURGAON/ BILAIGARH
16	CHANDRASHEKHAR DEWANGAN	BALRAM PRASAD DEWANGAN	OBC	H.S.S. HATHBAND / SIMGA
17	PRABHA DEWANGAN	R L DEWANGAN	UR अना.महिला वर्ग से	H.S.S. SHIKARIKESHLI/ SIMGA
18	MILAP KUMAR TANDI	DHARAM SINGH TANDI	SC	H.S.S. BORASI/ KASDOL
19	CHANDA NAIK	KANVAL SINGH NAIK	UR अना.महिला वर्ग से	H.S.S. KHAMHARIYA/ BILAIGARH
20	AJAY KUMAR SAHU	LAW KUMAR SAHU	OBC	H.S.S. CHIKHALI/ KASDOL
21	PRATIMA SAHU	KRISHNA KANT SAHU	OBC	H.S.S. PANGAON / BALODABAZAR
22	RATTHOO RAM SAHOO	HEMCHARAN SAHOO	OBC	H.S.S. DHOBANI/ BILAIGARH
23	DEVENDRA	RAMDAS	SC	H.S.S. KONARI/ PALARI
24	PRAMOD KUMAR	DILHARAN LAL	SC	H.S.S. JHABDI / KASDOL
25	SATISH KUMAR PATLE	CHHEDU RAM PATLE	SC	H.S.S. DAMAKHEDA / SIMGA
26	BASANT KUMAR JATAWAR	MANOHAR LAL	SC भूपू.सै.के स्थान पर	H.S.S. BALPUR / BILAIGARH
27	SUMANANJALI BARIHA	VINOD BARIHA	ST	H.S.S. BAMHANPURI/ BILAIGARH
28	HEMPUSHPA DAHARIYA	GOVIND PRASAD DAHARIYA	SC	H.S.S. RASEDA / BALODABAZAR
29	MANJU KOSHLE	REKHCHAND KOSHLE	SC महिला वर्ग से	H.S.S. GURRA / BHATAPARA
30	SHRADDHA NETAM	KAMAL SINGH NETAM	ST	H.S.S. AUWRETHI / SIMGA

31	GAJADHAR	RAM PRASAD	ST	H.S.S. KHATYAPATI/ BALODABAZAR
32	JYOTI LAHARE	SONI LAHARE	UR PH	H.S.S. SARWA / KASDOL
33	KALPANA	RAM GOPAL	ST	H.S.S. JARAUD / SIMGA


निहित शर्तें :-

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है, चयनित उम्मीदवार द्वारा आवेदन पत्र में दी गई जानकारी असत्य पाये जाने पर बिना किसी सूचना के सेवा समाप्त की जा सकेगी।
2. प्रत्येक अभ्यर्थी शाला विषेश के लिए 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त है, जिसे 05 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में नियुक्त प्राधिकारी द्वारा व्याख्याता पंचायत के कार्य का आकलन किया जायेगा। व्याख्याता पंचायत के कार्य तथा आचरण संतोषप्रद होने की दशा में परिवीक्षा अवधि हटायी जा सकेगी। व्याख्याता पंचायत का कार्य संतोष जनक नहीं पाया जाता है तो इसके पश्चात पुनः बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के अंत में कार्य का आकलन किया आवेगा और यदि फिर भी उनकी सेवाएँ संतोषजनक नहीं पायी जाती है तो संबंधित व्याख्याता पंचायत की सेवाएँ समाप्त की जा सकेगी।
3. कोई भी उम्मीदवार जिसकी 02 से अधिक जीवित संतान है जिसमें 01 का जन्म 26 जनवरी 2001 को अथवा उसके बाद हुआ हो, पाये जाने पर नियुक्ति निरस्त की सकेगी।
4. कोई भी उम्मीदवार के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, पाये जाने पर उक्त नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
5. व्याख्याता पंचायत जिला पंचायत के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन रहेंगे। दीर्घशास्ति के लिए यथास्थिति जिला पंचायत की सामान्य प्रशासन स्थाई समिति तथा लघु शास्ति के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बलौदाबाजार-भाटापारा अनुशासनिक प्राधिकारी होंगे।
6. व्याख्याता पंचायत की सेवाएँ नियुक्ति प्राधिकारी को या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा व्याख्याता पंचायत को लिखित में 01 माह की सूचना देकर या एक माह के वेतन का भुगतान करने पर किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकेगी।
7. व्याख्याता पंचायत की उपर वर्णित शर्तों से भिन्न सेवा की शर्तें भी यथा स्थिति जिला पंचायत के अन्य कर्मचारियों पर लागू शर्तों के समान ही होगी।
8. प्रमाण पत्र सत्यापन उपरांत ही यथास्थिति कार्यभार ग्रहण मान्य होगा।
9. प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों की वैधानिकता प्रमाणित करने का भार नियुक्त व्याख्याता पंचायत पर होगा।
10. चयनित उम्मीदवार को जिला चिकित्सा के चिकित्सा बोर्ड से मेडिकल सर्टिफिकेट कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात एक माह के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा।
11. पुलिस सत्यापन में दोषी पाये जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा समाप्त कर दी जावेगी।
12. नियुक्ति प्रक्रिया में यदि कोई न्यायालयीन प्रकरण बनती है तो नियुक्त व्याख्याता पंचायत की नियुक्ति प्रक्रिया न्यायालय के निर्णय से बाधित होगी।
13. छ.ग. पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 नियम 05 (2) के अंतर्गत कोई भी पंचायत सेवक अपनी सेवा या किसी अन्य पंचायत सेवक की सेवा से सम्बन्धित किसी मामले के सम्बन्ध में न तो किसी तरह की हड़ताल का सहारा लेगा और नहीं किसी प्रकार से उसे अभिप्रेरित करेगा।

14. चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात, एक माह का विभागीय प्रशिक्षण दिया जायेगा। उपरोक्त प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं करने पर सम्बंधित उम्मीदवार की सेवाएँ समाप्त भी की जा सकती है।
15. नियुक्त व्याख्याता पंचायत छ.ग. पंचायत सेवा आचरण नियम 1998 के अंतर्गत शासित होंगे।
16. बी.एड.उपाधि धारी अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में जिनका चयन हुआ है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्ति की तारीख से 03 वर्ष के अंदर बी.एड पाठ्यक्रम में उपाधि प्राप्त करनी होगी अन्यथा उनकी सेवा स्वमेव समाप्त मानी जाएगी।

आदेश जारी होने के 10 दिवस के भीतर दिनांक 11.12.2017 तक पदांकित शाला में अनिवार्यतः कार्यभार ग्रहण करें एवं कार्यभार ग्रहण करते समय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दस्तावेज की स्वप्रमाणित कॉपी शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत करें। निर्धारित समय में कार्यभार ग्रहण नहीं करने की स्थिति में यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।


(एस.जयवर्धन,भा.प्र.से)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला पंचायत बलौदाबाजार-भाटापारा(छ.ग.)


बलौदाबाजार-भाटापारा,दिनांक 02 DEC 2017

कं./ 8964 /स्था/शिक्षा/जि.पं/2017

प्रतिलिपि-

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय नया रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. आयुक्त सह संचालक, पंचायत संचालनालय,छ.ग. 36 CIII ब्लॉक- II द्वितीय तक इन्द्रावती भवन नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. संचालक लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
4. संभागायुक्त, रायपुर संभाग रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
5. कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा को सूचनार्थ।
6. माननीय अध्यक्ष महोदया, जिला पंचायत बलौदाबाजार-भाटापारा को सूचनार्थ।
7. पुलिस अधीक्षक, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा को सूचनार्थ।
8. जिला शिक्षा अधिकारी, बलौदाबाजार को सूचनार्थ।
9. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत जिला बलौदाबाजार-भाटापारा को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।

10. सर्व विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि सम्बंधित की उपस्थिति होने पर मूल अभिलेखों की जाँच कर पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण करावें।
11. सम्बंधित प्राचार्य शास.उ.मा.वि./ हाई स्कूल..... को सूचना एवं पालनार्थ।
12. संबधित श्री/कु/श्रीमती को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
13. आदेश नस्ती (गार्ड फाईल हेतु)


मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत बलौदाबाजार-भाटापारा(छ.ग.)